भारत सरकार
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त
महावीर नगर प्रथम, झालावाड़ रोड
कोटा–324005 राजस्थान

F.No.I(22)-3/Adm/2018- Dated:-07.03.2018

निविदा

राजस्थान इकाई में अफीम फसल वर्ष 2017–18 के लिए विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों जैसे छीपाबडोद, छबडा, झालावाड़, निम्बाहेडा, सिंगोलीश्याम, चित्तौड़गढ़, छोटीसादडी एवं प्रतापगढ़ इत्यादि से अफीम कंटेनरों को अफीम गोदाम, चित्तौड़गढ़ तथा नीमच फैक्ट्री (म0प्र0) तक सुरक्षित रूप से पॅहुचाने हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है।

नियम एवं शर्ते

1. विभाग को 5 से 6 बंद ट्रकों की आवश्यकता होगी। ट्रक कंटेनर 30'' फीट लम्बाई का होना चाहिए, जो पूरी तरह से बंद हो, जिसके दरवाजे पर ताला लगा कर सीज किया जा सके। ट्रक की टूट–फूट, रिपेयर की जिम्मेवारी स्वयं पार्टी की होगी। सभी ट्रकों पर जी0पी0एस0 (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) इन्स्टूमेन्ट लगा होना अनिवार्य है।
2. निविदा में ट्रक किराया प्रतिदिन प्रति ट्रक एवं डीजल किलोमीटर/प्रति लीटर के अनुसार देना होगा, जिस पर ''अफीम तौल कार्य हेतु बंद ट्रकों की निविदा'' अंकित होना चाहिए निविदा में लागू जी.एस.टी. व अन्य टैक्स अलग–2 कर दर्शाया जाये।
3. निविदादाता अपनी मोहर बंद निविदा इस कार्यालय में दिनांक 13.03.2018 को 11.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है जिसे दिनांक 13.03.2018 को ही उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 16.00 बजे खोला जाएगा।
4. निविदादाताओं को निविदा के साथ धरोहर राशि रूपये 25000/– का बैंक ड्राफ्ट जो **अधीक्षक (कार्यपालक) केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा** के नाम देय हो, संलग्न करना होगा। सफल निविदादाता को सेवा कर जमा कराने के प्रमाण प्रस्तुत करने पर अमानत राशि वापस की आएगी।
5. सभी केन्द्रों पर अफीम तौल कार्य एक साथ आरम्भ होगा, जो माह अप्रैल 2018 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होने की संभावना है। अफीम तौल केन्द्र भी बदले जा सकते है। अफीम तौल केन्द्रो एवं कार्य आरम्भ होने की तिथि की सूचना फर्म को पूर्व में ही दे दी जायेगी।
6. टोल टैक्स का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा, जिसका भुगतान मूल बिल प्रस्तुत करने पर विभाग से प्राप्त किया जा सकेगा।
7. नोडल बिन्दु कार्यालय जिला अफीम अधिकारी कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ होगा। आपको सभी ट्रक आदेशानुसार कार्यालय जिला अफीम अधिकारी कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ – ।।।, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ ।/ ।। के अफीम तौल केन्द्र, छीपा बडोद, छबडा, झालावाड़, निम्बाहेडा, सिंगोलीश्याम,, प्रतापगढ़ एवं छोटी सादड़ी में निर्धारित समय एवं दिनांक पर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने होगे। कार्य समाप्ति पर ट्रक अफीम गोदाम चित्तौड़गढ़ अथवा अफीम फैक्ट्री नीमच/गाजीपुर से ही रीलीज कर दिये जायेंगे।
8. इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस कार्यालय में 10.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।
9. यदि निविदादाता द्वारा निश्चित समय तक ट्रक उपलब्ध नही कराया जाता है अथवा परिवहन के दौरान ट्रक खराब हो जाता है एवं निविदादाता द्वारा तुरन्त समाधान नही करने पर विभाग को यह अधिकार होगा कि वह कार्य निष्पादन हेतु किसी भी स्थानीय फर्म से ट्रक भाड़े पर लेवे तथा इस संबंध में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा।
10. वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस व वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन व इन्श्योरेंस होना अनिवार्य है।
11. ट्रक का वाहन चालक व क्लीनर नशे का आदी नही होना चाहिए।
12. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किए जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटौती की जा सकती है एवं धरोहर राशी भी जप्त की जा सकती है।
13. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा।
14. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही कोटा न्यायालय के अधीन होगी।
15. सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होंगे।
16. जी.एस.टी. अधिकृत रजिस्टर्ड फर्म का ही कोटेशन मान्य होगा कोटेशन मे दर जी.एस.टी. सहित दर्शायें।

(डॉ. सहीराम मीना)
उप नारकोटिक्स आयुक्त
कोटा, राजस्थान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को विभाग की वेब साईट www.cbn.nic.in पर देने का श्रम करें।
2. जिला अफीम अधिकारी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़–I/ II/ III, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ I/ II को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मो को सूचित करें।

अधीक्षक (प्रशासन)
कोटा, राजस्थान